



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224407
CG-DL-E-14012021-224407

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/पौष 24, 1942

No. 23]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड)
(संशोधन) विनियम, 2021

आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.068.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 5 में,—
 - उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(4क) शेयरधारक निदेशक ऐसा व्यष्टि होगा जो शासी बोर्ड द्वारा यथा-विनिश्चित पात्रता मानदंडों को, जिसके अंतर्गत अनुभव और अर्हता भी है, पूरा करता है।”;

(ii) उप-विनियम (6) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ख) जिसके पास वित्त, विधि, अर्थशास्त्र, लेखांकन, मूल्यांकन, प्रबंधन या दिवाला के क्षेत्र में विशेषज्ञता है;”;

(iii) उप-विनियम (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(14) कोई निदेशक, किसी प्राधिकारी के ऐसे किसी आदेश को, जो उसके आचरण या ख्याति को प्रभावित करता है, ऐसा आदेश जारी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को प्रकट करेगा:

परन्तु आदेश की एक प्रति दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की वेबसाइट पर तत्काल डाली जाएगी;

परन्तु यह और कि ऐसा निदेशक वहां तत्काल दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का निदेशक नहीं रहेगा जहां ऐसा आदेश उसे किसी कंपनी का निदेशक होने से निरर्हित करता है।”।

3. मूल विनियमों के विनियम 5ख के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“6. स्वमूल्यांकन

(1) शासी बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष में अपने कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर उसके द्वारा विनिश्चित रीति में करेगा।

(2) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट स्वमूल्यांकन की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

7. अनुपालन अधिकारी

(1) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी ऐसा अनुपालन अधिकारी अभिहित या नियुक्त करेगी जो संहिता और विनियमों के उपबंधों, उसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उपबंधों के किसी अननुपालन के बारे में तुरंत और निष्पक्ष रूप से बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

(3) अनुपालन अधिकारी, बोर्ड को वार्षिक रूप से यह सत्यापित करते हुए एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी ने उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उपबंधों का अनुपालन किया है:

परन्तु वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र पर दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के प्रबंध निदेशक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) शासी बोर्ड, अपनी बैठक में पारित किसी संकल्प के माध्यम से ही किसी अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगी या हटाएगी।”।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./459/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें—

- (1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 383, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.35, द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018;
- (2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 260, तारीख 23 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.043, द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2019; और
- (3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 155, तारीख 24 अप्रैल, 2020 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.058, द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020, द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2021

No. IBBI/2020-2021/GN/REG068.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 5,—
 - (i) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—
“(4A) A shareholder director shall be an individual, who satisfies the eligibility norms, including experience and qualification, as decided by the Governing Board.”;
 - (ii) in sub-regulation (6), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
“(b) who has expertise in the field of finance, law, economics, accountancy, valuation, management or insolvency;”;
 - (iii) after sub-regulation (13), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—
“(14) A director shall disclose any order of any authority that affects his character or reputation, to the insolvency professional agency, within one week of issue of such order:

Provided that a copy of the order shall be placed forthwith on the website of the insolvency professional agency;

Provided further that such director shall forthwith cease to be a director of the insolvency professional agency where the order disqualifies him to be a director of a company.”.

3. In the principal regulations, after regulation 5B, the following regulations shall be inserted, namely:-

“6. Self-evaluation.

- (1) The Governing Board shall evaluate its performance in a financial year within three months of the closure of the year, in the manner decided by it.
- (2) The insolvency professional agency shall publish a report on self-evaluation referred to in sub-regulation (1) on its website.

7. Compliance Officer.

- (1) An insolvency professional agency shall designate or appoint a compliance officer who shall be responsible for ensuring compliance with the provisions of the Code and regulations, circulars, guidelines, and directions issued thereunder.
- (2) The compliance officer shall, immediately and independently, report to the Board any non-compliance of the provisions referred to in sub-regulation (1).
- (3) The compliance officer shall submit a compliance certificate to the Board annually, verifying that the insolvency professional agency has complied with the provisions referred to in sub-regulation (1):

Provided that the annual compliance certificate shall also be signed by the managing director of the insolvency professional agency.

- (4) The Governing Board shall appoint or remove the compliance officer only by means of a resolution passed in its meeting”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./459/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were subsequently amended by—

- (1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 published vide notification No. IBBI/2018-19/GN/REG35 dated 11th October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 383 on 11th October, 2018;
- (2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 published vide notification No. IBBI/2019-20/GN/REG043 dated 23rd July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.261 on 23rd July, 2019; and
- (3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2020 published vide notification No. IBBI/2020-21/GN/REG058 dated 20th April, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.155 on 24th April, 2020.